

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(07)राज/वाद/2012

जयपुर, दिनांक 04/08/2021

::आदेश::


राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.09.21 (द्वितीय शनिवार) को ऑफ-लाईन/ऑन-लाईन माध्यम द्वारा आयोजित किया जाना निश्चित हुआ है। लोक अदालत/मिडियेशन कार्यवाही में विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय व सहयोग सुनिश्चित करने, उनकी कठिनाईयों का निवारण कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के संबंध में विशिष्ट शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी को एतद्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

^{-६०-}
(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/विभागाध्यक्ष।
2. निजी सचिव, महाधिवक्ता राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण (रा.ल.सा)।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी को राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 12076-12085 दिनांक 26.07.21 की प्रतिलिपि एवं इस विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 29.07.21, 03.08.21 की प्रतियों सहित संलग्न कर प्रेषित है।
5. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
6. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
8. समस्त गवर्नमेंट कौंसिलगण/राजकीय अधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
9. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
10. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।


(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि